



महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली  
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY  
पत्रांक : रु.वि./श.प्रति/2014/२१८—२३०

दिनांक: 03.11.2014

### कार्यालय आदेश

महिलाओं को कार्य स्थल पर लैंगिंग उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशोध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अनुपालन हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर निम्ननुसार समिति का गठन किया जाता है:-

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. प्रो० नीलिमा गुप्ता, अधिष्ठिता छात्र कल्याण            | प्रीसाइडिंग ऑफिसर |
| एवं प्रोफेसर, एनीमल साइंस विभाग।                          |                   |
| 2. प्रो० वी. पी. सिंह, चीफ प्राक्टर एवं                   | सदस्य             |
| प्रोफेसर प्लाण्ट साइंस विभाग                              |                   |
| 3. प्रो० ए. के. सिन्हा,                                   |                   |
| संकायाध्यक्ष, मानविकी एवं उन्नत समाजिक विज्ञान संकाय      | सदस्य             |
| एवं प्रोफेसर, प्राचीन इतिहास विभाग                        |                   |
| 4. डा० अशोक कुमार, प्रवक्ता, विधि विभाग                   | सदस्य             |
| ✓ 5. इंजी० पूजा यादव, सी०एस०आई०टी० विभाग                  | सदस्य             |
| 6. डा० रजैनी अग्रवाल, प्रीलिटिगेशन कोर्ट (एन०जी०ओ०) बरेली | सदस्य             |
| 7. श्रीमती सुमन सिंह, कनिष्ठ सहायक, गोपनीय विभाग          | सदस्य             |

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उपरोक्त समस्त पदाधिकारी।
2. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
3. समस्त सहायक कुलसचिव/उपकुलसचिव
4. समस्त वार्डन।
5. वित्त अधिकारी।
6. व्यक्ति सहायक कुलपति, कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
7. विश्वविद्यालय नोटिस बोर्ड।
8. प्रभारी बैंकसाइट।

कुलसचिव 14/11/14

कुलसचिव